सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
आषाढ़ 04, मंगलवार, *शाके* 1946-जून 25, 2024 *Asadha 04, Tuesday , Saka 1946- June 25, 2024*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग जयपुर

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

अधिसूचना

बांसवाड़ा, मई 22, 2024

(भू अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1))

संख्या 7404332 :-भू अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानुसार एवं राजस्थान सरकार के राजस्व ग्रुप 6 विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1 150 राज 0/6/2016/02 दिनांक 27.01.2017 के निर्देशानुसार बांसवाड़ा जिले की तहसील गढ़ी ग्राम लसाड़ा माही नदी पर SH-32 किमी. 218(लसाड़ाब्रिज) मे ब्रिजनिर्माणकार्य मे निम्नानुसार प्रभावित गाँवों मे भूमि अर्जन किया जाना प्रस्तावित है |

ग्राम लसाड़ा विवरण

क्र.सं.	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	कुल रकबा (हे.)	अवाप्त किए जाने वाला क्षेत्रफल (हे.)	किस्म
1	1 - गंगा पत्नि स्व. रामेंग हिस्सा ½ 2 - डायालाल पुत्र रामेंग हिस्सा ½ जाति पटेल सा. देह खातेदार	181	0.11 हे.	0.04 हे.	बे. चो.
2	1 – डमली पत्नी पातिया हिस्सा पूर्ण जाति भील सा. देह खातेदार	187	0.05 हे.	0.04 हे.	काली 3
3	1 - रुपेंग पुत्र कुबेर हिस्सा पूर्ण जाति पटेल सा. देह खातेदार	188 189	0.08 हे. 0.08 हे.	0.06 हे. 0.07 हे.	काली 3 बे. गो. 1
4	1 – गोकलजी पुत्र देवेंग हिस्सा पूर्ण जाति पटेल सा. देह खातेदार	190	0.08 हे.	0.08 हे.	बे. गो. 1
5	1– कालिया पुत्र कुरिया हिस्सा ¼ 2 – जगजी पुत्र कुरिया हिस्सा ¼ 3 – पेमजी पुत्र कुरिया हिस्सा ¼ 4 – वजेंग पुत्र कुरिया हिस्सा ¼ जाति पटेल सा. देह खातेदार	191 192	0.02 हे. 0.05 हे.	0.02 हे. 0.05 हे.	बे. 1 बे. गो. 1

6	1 – वालजी पुत्र रामजी हिस्सा ½ 2 – हाकेर पत्नी स्व. रामजी हिस्सा ½जाति पटेल सा. देह खातेदार	193	0.09 हे.	0.09 हे.	बे. गो. 1
7	1– कालिया पुत्र कुरिया हिस्सा ¼ 2 – जगजी पुत्र कुरिया हिस्सा ¼ 3 – पेमजी पुत्र कुरिया हिस्सा ¼ 4 – वजेंग पुत्र कुरिया हिस्सा ¼ जाति पटेल सा. देह खातेदार	194	0.02 हे.	0.02 हे.	बे. गो. 1
8	1 - राज. सरकार	197 1071 1062	0.04 हे. 0.06 हे. 0.16 हे.	0.03 हे. 0.04 हे. 0.06 हे.	चट्टान चट्टान भूरी कदिम
9	1 – पेमजी पुत्र रतनजी हिस्सा ½ 2 – पवन पुत्र रतनजी हिस्सा ½ जाति पटेल सा. देह खातेदार	198	0.07 हे.	0.07 हे.	काली 3
10	1– कोदर पुत्र वेलजी हिस्सा 1/3 2 – रम्भा पत्नी स्व. वेलजी हिस्सा 1/3 3 – विनोद पुत्र वेलजी हिस्सा 1/3 जाति पटेल सा. देह खातेदार	199	0.05 हे.	0.05 हे.	काली 3
11	1– धुली पत्नी स्व. केवलजी हिस्सा 1/3 2 – प्रकाश पुत्र केवलजी हिस्सा 1/3 3 – राकेश पुत्र केवलजी हिस्सा 1/3 जाति पटेल सा. देह खातेदार	200	0.07 हे.	0.07 हे.	काली 3
12	1– पेमजी पुत्र रतनजी हिस्सा 1/7 2 – पवन पुत्र रतनजी हिस्सा 1/7 3 – भूरा पुत्र हीरा हिस्सा 1/7 4 – माधवजी पुत्र जुर्वता हिस्सा 1/7 5 – लवजी पुत्र हिरा हिस्सा 1/7 6 – हुका पुत्र हिरा हिस्सा 1/7 7 – हाकेर पत्नी स्व.रतनजी हिस्सा 1/7जाति पटेल सा. देह खातेदार	201	0.06 हे.	0.06 हे.	काली 3
13	1 – जगदीश दत्तक पुत्र सुसी हिस्सा पूर्ण जाति पटेल सा. देह खातेदार	202	0.11 हे.	0.11 हे.	काली कदिम
14	1 – अशोक पुत्र कुबेर हिस्सा 1/3 2 – दिनेश पुत्र कुबेर हिस्सा 1/3 3 – हाकेर पत्नी स्व. कुबेर हिस्सा 1/3जाति पटेल सा. देह खातेदार	203	0.06 हे.	0.06 हे.	काली 3
15	1 – सुखलाल पुत्र रतनजी हिस्सा पूर्ण	204 205	0.10 हे.	0.10 हे.	काली 3

	जाति पटेल सा. देह खातेदार		0.07 हे.	0.07 हे.	
16	1 – सुभद्रा पुत्री छगन लाल हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार	1056 4294/1059	0.09 हे. 0.04 हे.	0.03 हे. 0.02 हे.	भूरी कदिम भूरी कदिम
17	1 – मोगी पत्नी रुपेंग हिस्सा ½ 2 – रुपेंग पुत्र कुबेर हिस्सा ½ जाति पटेल सा. देह खातेदार	1057	0.08 हे.	0.03 हे.	भूरी कदिम
18	1 – ललिताशंकर पुत्र कोदलाल हिस्सा पूर्णजाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार	1058	0.05 हे.	0.05 हे.	आवासीय आबादी
19	1 – राकेश पुत्र मोहनलाल हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार	1059	0.04 हे.	0.04 हे.	भूरी कदिम
20	1 – नाथु पुत्र कचरु हिस्सा पूर्ण जाति पटेल सा. देह खातेदार	1063	0.10 हे.	0.08 हे.	भू. गो. 1
21	1 – गोतम पुत्र रुपेंग हिस्सा 1/3 2 – नाथु पुत्र रुपेंग हिस्सा 1/3 3 – कमलजी पुत्र रुपेंग हिस्सा 1/3 जाति पटेल सा. देह खातेदार	1064	0.08 हे.	0.08 हे.	भू. गो. 1
22	1 – रतन पुत्री वेलजी हिस्सा पूर्ण जाति पटेल सा. देह खातेदार	1065	0.12 हे.	0.06 हे.	भू. गो. 1
23	1 – गोविंदजी पुत्र देवेंग हिस्सा पूर्ण जाति पटेल सा. देह खातेदार	1077	0.08 हे.	0.06 हे.	बे. गो. 1
24	1 – देवीलाल पुत्र कालिया हिस्सा ½ 2 – हन्तोक पत्नी स्व. कालिया हिस्सा ½जाति पटेल सा. देह खातेदार	1078	0.04 हे.	0.04 हे.	बे.सा.ग. 1
25	1 – भूरा पुत्र दलजी हिस्सा पूर्ण जाति पटेल सा. देह खातेदार	1076	0.08 हे.	0.04 हे.	बे. गो. 1
26	1 – धुली पत्नी स्व. हुका हिस्सा ½ 2 – प्रवीण पुत्र हुका हिस्सा ½ जाति पटेल सा. देह खातेदार	4340/1078	0.05 हे.	0.05 हे.	वेरंगी गोयरा 1
27	1 – धना पुत्र नाथु हिस्सा पूर्ण जाति जोगी सा. देह खातेदार	1079	0.04 हे.	0.04 हे.	भू. गो. 1
28	1 – कमला देवी पत्नी गोकलजी हिस्सा पूर्ण जाति पटेल सा. देह खातेदार	1080	0.05 हे.	0.05 हे.	बे. गो. 1
29	1 – विमला देवी पत्नी दिनेश चन्द्र हिस्सा पूर्ण जाति ब्राह्मण सा. देह खातेदार	1081	0.02 हे.	0.02 हे.	भू. गो. 1
30	1 – गंगा पत्नी स्व. रामेंग हिस्सा ½ 2 – डायालाल पुत्र रामेंग हिस्सा ½	1082	0.06 हे.	0.03 हे.	भू. गो. 1

	जाति पटेल सा. देह खातेदार				
31	1 – ग्राम पंचायत आबादी हिस्सा पूर्ण ग्राम पंचायत आबादी	2244	0.15 हे.	0.03 हे.	आबादी
32	1 – कमला पत्नी स्व. हुका हिस्सा ½ 2 – सूरज कुमार पुत्र हुका हिस्सा ½ जाति भील सा. देह खातेदार	1085	0.10 हे.	0.02 हे.	भू. गो. 1
		योग	2.7 हे.	1.96 हे.	

- अधिसूचना भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 अधिनियम संख्या 30-2013 मे उचित क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 11 के प्रावधानों के तहत की जाएगी|

- सरकार द्वारा अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड सागवाड़ा व उसके स्टाफ कर्मचारी को इलाके मे किसी भी भूमि का सर्वे, नाप व लेवल के लिए प्रवेश करने , भूमि के नीचे मिट्टी की जांच के लिए बोर करने व परियोजना के क्रियान्वयन व उचित निर्माण के लिए अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्राधिकृत किया जाता है |
- भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के अनुसार कोई भी व्यक्ति ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा होने के समय तक प्रारम्भिक अधिसूचना मे विनिर्दिष्ट भूमि का जिला कलेक्टर महोदय की अनुमति के बिना कोई सव्यवहार नहीं करेगा या कोई सव्यवहार कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा |
- परियोजना हेतु नियमानुसार सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड सागवाड़ा द्वारा सामाजिक समाघात हेतु एजेन्सी का चयन करवाया जाएगा |
- सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु चयनित संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू अर्जन से प्रभावित गाँवों मे सामाजिक समाघात निर्धारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता अधिकार 2016 के प्रावधानुसार किया जावेगा | सामाजिक समाघात निर्धारणकी प्रक्रिया निम्नानुसार होगी |
    1. संस्थान द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भूमि अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारूप रिपोर्ट तैयार की जाएगी |
    2. प्रारूप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गाँवों मे समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी तत्पश्चात प्रभावित गाँवों मे पर्याप्त प्रचार प्रसार के उपरान्त जनसुनवाई की जावेगी जिसकी कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकार्ड किया जावेगा |
    3. जनसुनवाई के दौरान आए सुझावों आपत्तियों के समुचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबंध रिपोर्ट तैयार की जावेगी |
    4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गाँवों मे संबन्धित पंचायत नगरपालिका के परामर्श से की जावेगी|
    5. सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बल प्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद का अक्रत और शून्य बना देगा |

6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि मे पूर्ण सम्पूर्ण कराया जाना अनिवार्य है |

सुनील गुप्ता,
संयुक्त सचिव (पथ)
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
राजस्थानए जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।